।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 73 **/12–1 ,गोपेष्वर, दिनांक** 05/07 **2021।**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली।

विषयः– जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– **अपर सचिव, वन अनुमाग–3,उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1320(1)/x-3-20/1(150)/2020 दिनांक 13.10.2020**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विशयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अपर सचिव वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड, शासन से निम्न शर्तो के तहत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार इस कार्यालय द्वारा पूर्व में मांग पत्र प्रेषित की गयी, परन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 972/3–5 दिनांक 21.11.2017 में वृक्षारोपण कार्यो हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं0 एल0–642/14–3–627/89 दिनांक 30.11.1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरें निर्धारित किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दर में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था, के अनुसार नये वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण की धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित हैः–

1– शर्त सं0 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 972/3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 के नियम के अनुसार वर्ष 2020–21 में निर्धारित दर में 10 प्रतिशत की वृद्दि के अनुसार वर्ष 2021–22 में रू0 1464.00 प्रति पौध के अनुसार 240 पौध x 1464= 3,51,360.00 मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार 0.981 है0 दर 657000.00= रू0 644517.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुए ऑफलाईन चार–चार मूल प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 73 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c

Scanned with CamScanner